

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

- |                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. अपील संख्या—1255 / 2014 / सिरोही. | 7. अपील संख्या—1261 / 2014 / सिरोही.  |
| 2. अपील संख्या—1256 / 2014 / सिरोही. | 8. अपील संख्या—1262 / 2014 / सिरोही.  |
| 3. अपील संख्या—1257 / 2014 / सिरोही. | 9. अपील संख्या—1263 / 2014 / सिरोही.  |
| 4. अपील संख्या—1258 / 2014 / सिरोही. | 10. अपील संख्या—1264 / 2014 / सिरोही. |
| 5. अपील संख्या—1259 / 2014 / सिरोही. | 11. अपील संख्या—1265 / 2014 / सिरोही. |
| 6. अपील संख्या—1260 / 2014 / सिरोही. |                                       |

मैसर्स जे. के. लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड,  
जेकेपुरम् तहसील पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही.

.....अपीलार्थी.

### बनाम

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. सहायक आयुक्त, विशेष वृत, पाली.          | .....प्रत्यर्थी. |
| 2. उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर जोधपुर. |                  |

### खण्डपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य  
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

### उपस्थित :

- |                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| श्री एम. एल. पाटौदी, अभिभाषक       | .....अपीलार्थी की ओर से.  |
| श्री डी.पी.ओझा, उप-राजकीय अभिभाषक  |                           |
| श्री विनोद मेहता, वाणि. कर अधिकारी | .....प्रत्यर्थी की ओर से. |

निर्णय दिनांक : 14 / 03 / 2018

### निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपरोक्त सभी अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, द्वितीय, वाणिज्यिक कर जोधपुर (जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे ‘वेट अधिनियम’ कहा जायेगा) एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे ‘केन्द्रीय अधिनियम’ कहा जायेगा) के सम्बन्ध में पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 14.07.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से सहायक आयुक्त, विशेष वृत, पाली (जिसे आगे ‘कर निर्धारण अधिकारी’ कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी की आलौच्य अवधियों के लिये पारित किये गये पृथक-पृथक दिनांक 22.05.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करते हुए उपरोक्त कर निर्धारण आदेशों की पुष्टि की है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :-

अपील संख्या	अपीलीय अधिकारी का आदेश क्रमांक	अन्तर्गत अधिनियम	कर निर्धारण अवधि	आरोपित	
				कर	ब्याज
1	2	3	4	5	6
1255 / 2014	9 / आरवेट	रा.मू.प.क.अधि.03	2003–04(RVAT)	8,29,00,157	10,55,03,510
1256 / 2014	15 / सीएसटी	के.बि.क.अ., 1956	2003–04 (CST)	35,69,859	45,43,208
1257 / 2014	10 / आरवेट	रा.मू.प.क.अधि.03	2004–05(RVAT)	15,18,29,009	17,56,55,765
1258 / 2014	16 / सीएसटी	के.बि.क.अ. 1956	2004–05 (CST)	72,91,829	84,36,147
1259 / 2014	11 / आरवेट	रा.मू.प.क.अधि.03	2005–06(RVAT)	23,83,07,279	24,71,08,326
1260 / 2014	17 / सीएसटी	के.बि.क.अ. 1956	2005–06 (CST)	80,31,571	83,28,189
1261 / 2014	12 / आरवेट	रा.मू.प.क.अधि.03	2006–07(RVAT)	21,64,52,944	18,61,16,756
1262 / 2014	18 / सीएसटी	के.बि.क.अ. 1956	2006–07 (CST)	90,93,929	78,17,908
1263 / 2014	13 / आरवेट	रा.मू.प.क.अधि.03	2007–08(RVAT)	35,59,38,692	25,87,82,988
1264 / 2014	19 / सीएसटी	के.बि.क.अ. 1956	2007–08 (CST)	63,18,965	51,06,744
1265 / 2014	14 / आरवेट	रा.मू.प.क.अधि.03	2008–09(RVAT)	23,34,37,378	16,03,23,512

लगातार.....2

2. इन सभी अपीलों में एक ही पक्षकार एवं समान विवादित बिन्दु निहित होने से सभी प्रकरणों का निस्तारण एक संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक—पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी मैसर्स लक्ष्मी सीमेन्ट लिमिटेड, जेकेपुरम् जिला सिरोही की द्वितीय इकाई की विस्तारित तृतीय इकाई द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम, 1994' कहा जायेगा) एवं केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत उद्योगों के लिये प्रोत्साहन योजना के तहत लाभ प्रदान किये जाने हेतु आवेदन किये जाने पर राज्य स्तरीय छानबीन समिति (जिसे आगे "SLSC" कहा जायेगा) द्वारा प्रार्थी के आवेदन—पत्र की जांच के उपरान्त अपीलार्थी व्यवहारी की विस्तारित इकाई को दिनांक 17.5.1999 को बिक्री कर आस्थगन योजना, 1989 के अनुलग्नक—'सी' के क्लॉज—'बी' के तहत 25 प्रतिशत की दर से राजस्थान विक्रय कर अधिनियम एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत आस्थगन योजना का लाभ सात वर्ष की अवधि यथा दिनांक 17.6.1999 से 16.6.2006 तक के लिये पात्र स्थाई पूँजी निवेश (EFCI) तक प्रदान किया गया। उक्त लाभ का उपभोग कम्पनी द्वारा दिनांक 17.6.1999 से दिनांक 27.4.2003 तक प्राप्त किया गया। तत्पश्चात् अपीलार्थी इकाई द्वारा Commissioner (Investment and NRI) Board of Infrastructure, Jaipur के समक्ष दिनांक 05.08.2002 को आवेदन प्रस्तुत कर अन्य सीमेन्ट कम्पनियों को उक्त योजना के तहत एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स बिनानी सीमेन्ट लिमिटेड के प्रकरण में दिये गये आदेश के अनुसरण में 75 प्रतिशत की दर से करमुक्ति का लाभ प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया। अपीलार्थी कम्पनी के आवेदन को बोर्ड ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, जयपुर (BIDI) द्वारा स्वीकार कर दिनांक 5.4.2003 से निम्न शर्तों के साथ लाभ देने की अनुशंसा राज्य सरकार को की गयी।

(1) मैसर्स जे. के. लक्ष्मी सीमेन्ट लिमिटेड की इकाई III, औद्योगिक नीति—1989 की आस्थगन योजना के तहत 25 प्रतिशत बिक्री कर लाभ प्राप्त कर रही है। औद्योगिक नीति—1989 की आस्थगन योजना के तहत आर.एस.टी./सी.एस.टी. में 75 प्रतिशत बिक्री कर मुक्ति का लाभ 9 वर्ष की अवधि के लिये दिया जाये।

(2) उपरोक्त अवधि में से अब तक जितनी अवधि के लिये इकाई द्वारा बिक्री कर लाभ प्राप्त कर लिया गया है, वह अवधि घटा दी जायेगी एवं इकाई शेष अवधि के लिये ही बिक्री कर लाभ प्राप्त करने की पात्र होगी।

लगातार.....3

(3) बिक्री कर का लाभ अधिकतम सीमा SLSC द्वारा जारी पात्र स्थाई पूँजी निवेश प्रमाण पत्र में दी गई राशि के बराबर होगी एवं अब तक प्राप्त किया गया बिक्री कर लाभ कुल पात्र स्थाई पूँजी निवेश में से घटा दिया जायेगा।

(4) कम्पनी को वाणिज्यिक कर विभाग को एक लिखित शपथ-पत्र देना होगा, जिसमें कम्पनी द्वारा यह आश्वासन दिया जायेगा कि 75 प्रतिशत बिक्री कर छूट के बाद भी कम्पनी द्वारा वर्तमान में जमा कराये जा रहे बिक्री कर के स्तर को मेन्टेन रखा जायेगा।

(5) वेट अधिनियम लागू होने के पश्चात अगर सीमेंट पर बिक्री कर की दरों में बदलाव आता है तो उसी अनुपात में जमा कराई जा रही बिक्रीकर राशि, जिसके लिये कंपनी द्वारा शपथ पत्र दिया गया है, घटाई-बढ़ाई मानी जायेगी, लेकिन उपरोक्त लाभ पूर्व में प्राप्त हो रहे लाभ से कम नहीं होंगे।

(6) कंपनी को 1000 लोगों का रोजगार बरकरार रखना होगा

(7) उपरोक्त लाभ बिनानी सीमेंट के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय दिया जायेगा, उससे बाधित होंगे।

4. इस प्रकार BIDI द्वारा दिनांक 05.04.2003 को कम्पनी की तृतीय इकाई को अधिनियम, 1994 व केन्द्रीय अधिनियम के तहत शेष रही अवधि के लिए 75 प्रतिशत कर मुक्ति का लाभ उपरोक्त शर्तों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के अध्यधीन प्रदान किया गया। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 28.4.2003 के जरिये प्रार्थी कम्पनी को अधिनियम, 1994 व केन्द्रीय अधिनियम के तहत विस्तारित इकाई पर 75 प्रतिशत करमुक्ति का लाभ उपरोक्त शर्तों के अधीन प्रदान किया गया। दिनांक 28.4.2003 की अधिसूचना को उद्धरित किया जाता है :—

F.4(6)FD/Tax-Div:/03-pt./30

Jaipur, Dated 28.04.2003

**Sub:- Tax exemption to M/s Laxmi Cement Limited, Under Sales tax exemption Scheme.**

S.O. In exercise of the powers conferred by section 15 of the Rajasthan Sales Tax Act, 1994 (Rajasthan Act No. 22 of 1995) and by sub section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act 1956 (Central Act. No.74 of 1956), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby exempts cement manufactured by the Unit III of M/s Laxmi Cement Ltd. (A unit of JK Corporation Limited and hereinafter referred to as the unit), from payment of tax on the sales made within the state or when sold in the course of interstate trade or commerce, under-section(1) of section 8 of the CST Act, to the extent for the period and subject to the terms and conditions as specified here under :—

लगातार.....4

- (i) That the exemption from tax under this notification shall be limited to 75% of the tax liability on the sales made within the state or when sold in the course of interstate trade or commerce of the unit.
- (ii) That the exemption from tax shall be available to the unit for a total period of nine years, subject to, however, that the period during which the unit has already availed of any benefit under any incentive scheme of 1989, shall be reduced from the said period of nine years.
- (iii) That the total quantum of benefit under this notification in no case shall exceed the amount of the eligible fixed capital investment as specified in the eligibility certificate issued to the unit by the state level screening committee, and this maximum quantum of benefit shall be reduced by the quantum of benefit as already accrued to or availed of by the unit, and the benefit already availed under the Deferment Scheme shall be deposited in accordance with the provisions of the Rajasthan/Central Sales Tax New Deferment Schemes, 1989;
- (iv) The company shall file a duly attested affidavit to its Assessing Authority, to the effect that I undertake to deposit tax, not less than the tax deposited both under the Rajasthan Sales Tax Act, 1994 and under the Central Sales Tax Act, 1956 in the year 2001-2002, during the period it avails the benefits of 75% tax exemption under this notification;
- (v) That in case of change of rate of sales tax on sales within the State or sales in the course of inter-state or commerce of cement on account of introduction of Value Added Tax in the State, the minimum tax to be deposited by the unit shall proportionally be increased or decreased commensurate with the increase or decrease of rate of tax, however the benefit of exemption from tax shall not be less than the benefit being availed in the past;
- (vi) That the unit shall continue to provide employment to at least one thousand persons; and
- (vii) **That the benefits granted by this notification shall be subject to the decision of the Hon'ble Supreme Court, in the case of M.s Binani Cement, pending before the Hon'ble Supreme Court.**

5. इस प्रकार अपीलार्थी फर्म मैसर्स जे.के. लक्ष्मी सीमेन्ट लिमिटेड को उक्त अधिसूचना के तहत 75 प्रतिशत करमुकित का लाभ 9 वर्ष की अवधि के लिये दिया गया जिसमें पूर्व में प्रोत्साहन योजना में उपभोग कर चुके लाभ की राशि एवं अवधि घटाते हुए अवशेष अवधि एवं राशि का लाभ लिया गया।

6. अपीलार्थी कम्पनी द्वारा उक्त अधिसूचना अनुसार विनियोजित कुल राशि की सीमा तक करमुकित का लाभ दिनांक 28.4.2003 से 31.3.2006 तक 75 प्रतिशत की करमुकित का लाभ लिया गया एवं राज्य में वैट अधिनियम 2003 लागू होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा दिनांक 31.3.2006 को एक अधिसूचना

जारी की गई जिससे दिनांक 01.04.2006 से पूर्व की विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के तहत लाभ प्राप्तकर्ता इकाईयों को "करमुक्ति" के स्थान पर आस्थगन योजना में लाभ लेने का विकल्प दिया गया था। अतः अपीलार्थी द्वारा दिनांक 01.04.2006 से आस्थगन योजना का विकल्प लिया गया एवं वेट अधिनियम के तहत समस्त विक्रय पर कर राशि वसूल की गयी, परन्तु अधिसूचना अनुसार 75 प्रतिशत तक कर राशि को राजकोष में जमा कराने से आस्थगित रखा गया। कम्पनी को प्राप्त लाभ वर्ष 2008–09 तक समाप्त हो गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2003–04 से वर्ष 2008–09 तक के कर निर्धारण आदेश पारित किये गये थे जिसमें दिनांक 28.4.2003 एवं 31.3.2006 की अधिसूचना अनुसार लाभ दे दिया गया था, परन्तु वर्ष 2008–09 की समाप्ति के पांच वर्ष बाद दिनांक 22.5.2014 को पुनः आदेश पारित कर सभी वर्षों में दी गई करमुक्ति के लाभ को विद्वृँ किया गया जिसका आधार उक्त अधिसूचना दिनांक 28.4.2003 की शर्त संख्या (vii) का प्रभाव दिया जाना बताया गया क्योंकि उक्त शर्त संख्या (vii) में उल्लेखित बिनानी सीमेंट का लम्बित निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 19.2.2014 को किया जाकर बिनानी सीमेंट को 25 प्रतिशत का लाभ देने का निर्णय किया जाने से कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त अपीलार्थी कम्पनी को भी 25 प्रतिशत की कर मुक्ति का लाभ देने का पात्र मान लिया एवं अधिनियम, 1994 की धारा 29(8) एवं 58 तथा वेट अधिनियम की धारा 24(6) एवं 55 तथा वैट नियम 2006 के नियम 35 तथा RST Rule 1995 के नियम 34 के तहत वर्ष 2003–04 से वर्ष 2008–09 तक के समस्त कर निर्धारण आदेश दिनांक 22.05.2014 को पारित किये गये, जिसमें अधिसूचना दिनांक 28.4.2003 से अपीलार्थी कम्पनी को दिये गये करमुक्ति के लाभ को अधिसूचना की शर्त संख्या (vii) के अनुसार, करमुक्ति लाभ की सीमा 75 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करते हुए अधिक प्राप्त करमुक्ति 50 प्रतिशत (75–25) की अन्तर कर राशि Payable मानकर मांग सृजित की गई एवं नवसृजित कर राशि को जमा कराने का दायित्व दिनांक 28.4.2003 से वर्षवार अनिवार्य होना मानते हुए एवं वह राशि जमा नहीं होने का "default" मानते हुए अधिनियम, 1994 की धारा 58 एवं वेट अधिनियम की धारा 55 के तहत ब्याज का भी आरोपण किया गया जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की गयी थी, जिन्हें अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील आदेश दिनांक 14.7.2014 से अस्वीकार कर दी गयी, जिससे क्षुब्ध होकर ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

7. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी।

लगातार.....6

8. अपीलार्थी कम्पनी के विद्वान अभिभाषक श्री एम. एल. पाटौदी ने सर्वप्रथम यह विधिक विवाद प्रस्तुत किया कि उक्त समस्त विवादित कर निर्धारण आदेश अधिनियम, 1994 की धारा 29(8) एवं वेट अधिनियम की धारा 24(6) के तहत पारित किये गये हैं जिसमें यह प्रावधान है कि किसी भी व्यवसायी के कर निर्धारण के प्रकरण में किसी अपीलीय आदेश या अन्य सक्षम न्यायालय के आदेश की पालना में निर्णय के दो वर्ष के भीतर कोई आदेश पारित किया जा सकता है। उन्होंने कथन किया कि इस अपीलार्थी के विरुद्ध किसी न्यायालय द्वारा कोई निर्णय नहीं किया गया है एवं बिनानी सीमेन्ट के दिये गये निर्णय का प्रभाव अपीलार्थी के मामले में उक्त धाराओं के अधीन नहीं दिया जा सकता। उन्होंने आगे कथन किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी कम्पनी किसी तरह संबंधित पक्षकार नहीं थी, अतः बिनानी सीमेन्ट के निर्णय के आधार पर धारा 24(6) / 29(8) का प्रयोग नहीं किया जा सकता अतः इस आधार पर समस्त आदेश अपास्त योग्य है।

9. विद्वान अभिभाषक ने उक्त कथन को आगे बढ़ाते हुये तर्क दिया कि वेट अधिनियम की धारा 33 के प्रावधान अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किसी आदेश का संशोधन चार वर्ष की अवधि में अथवा किसी कर आरोपण से छूट जाने के आधार पर अधिनियम की धारा 30 के तहत 5 वर्ष में नोटिस जारी कर आदेश पारित किये जा सकते थे परन्तु उक्त प्रकरणों में समस्त वर्षों के उक्त विवादित कर निर्धारण आदेश 5 वर्ष से 11 वर्ष के बाद किये गये हैं अतः उक्त धाराओं के अधीन भी समस्त आदेश कालातीत (Time barred) होने से इनके तहत भी पारित नहीं किये जा सकते थे।

10. विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि अपीलार्थी कम्पनी को अधिनियम, 1994 की धारा 15 के तहत एक विशेष प्रकृति की करमुक्ति का लाभ राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.4.2003 से दिया गया है जो पूर्णतया एक स्वतंत्र लाभ, राज्य सरकार द्वारा अपीलार्थी को दिया गया है। इसी तरह वेट अधिनियम की अधिसूचना दिनांक 31.3.2006 के जरिये उन्हें वर्ष 2006–07 से कर आस्थगन का लाभ प्राप्त हुआ था, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय के बिनानी सीमेन्ट के निर्णय से निरस्त नहीं किया जा सकता है।

11. विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बिनानी सीमेन्ट के वाद में जो निर्णय दिया गया है उसमें किसी Notification या Scheme को अपास्त नहीं किया गया है बल्कि बिनानी सीमेन्ट द्वारा SLSC के निर्णय के विरुद्ध किये गये विवाद में यह निर्णय दिया है कि वह विक्रय कर प्रोत्साहन योजना, 1989 के एनेक्श्चर-'C' के क्लॉज-(4) में Prestigious unit में




लगातार.....7

सम्मिलित न होकर क्लॉज-1E में Large Scale Unit में ही सम्मिलित होने से उतने लाभ की ही पात्रता रखता है अतः SLSC द्वारा 25 प्रतिशत की करमुकित का लाभ सात वर्ष के लिये दिये जाने की पुष्टि की गई एवं कर बोर्ड तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा बिनानी सीमेंट के पक्ष में पारित आदेशों को अपास्त किया गया था। उन्होंने कथन किया कि अपीलार्थी (मैसर्स जे.के.लक्ष्मी सीमेंट) के लिये जारी की गयी अधिसूचना दिनांक 28.4.2003 एक स्वतंत्र लाभ है एवं अपीलार्थी के द्वारा स्थापित विस्तारित इकाई के तथ्य एवं क्लेम बिनानी सीमेंट से पूर्णतया भिन्न है। यह भी कथन किया कि बिनानी सीमेंट को SLSC द्वारा प्रोत्साहन योजना 1989 के नई युनिट के शीर्षक के तहत करमुकित का लाभ दिया था जबकि अपीलार्थी कम्पनी को नई युनिट के रूप में कोई लाभ प्राप्त नहीं था बल्कि उन्हें एक अलग "आस्थगन योजना" में "विस्तार (Expansion)" के तहत लाभ प्राप्त था अतः दोनों ही प्रकरणों के तथ्य वं पात्रता पूर्णतया भिन्न थी, अतः बिनानी सीमेंट के निर्णय का कोई प्रभाव दिनांक 28.4.2003 की अधिसूचना पर नहीं होता है। उन्होंने यह भी कथन किया कि दिनांक 28.4.2003 की अधिसूचना की शर्त संख्या (vii) में बिनानी सीमेंट के निर्णय के अध्यधीन होने का हवाला दिया है, परन्तु किस न्यायिक निर्णय के अधीन होगा, यह नहीं लिखा गया था। उन्होंने पुनः कथन किया कि बिनानी सीमेंट को योजना-1989 के तहत 25 प्रतिशत की करमुकित एवं सात वर्ष की अवधि के लिये ही पात्रता थी एवं SLSC के निर्णय द्वारा करमुकित का लाभ 25 प्रतिशत एवं सात वर्ष की अवधि के लिये ही दिया था परन्तु राजस्थान कर बोर्ड एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक आदेशों से 75 प्रतिशत की कर मुकित का लाभ ले लिया गया था जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 19.2.2014 के निर्णय से निरस्त कर दिया एवं योजना-1989 के तहत केवल 25 प्रतिशत की करमुकित का पात्र माना गया, जबकि अपीलार्थी (मैसर्स जे.के.लक्ष्मी सीमेंट) को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 28.4.2003 की विशेष अधिसूचना से 75 प्रतिशत की करमुकित का लाभ नौ वर्ष के लिये दिया गया था, जिसका माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित मामले के तथ्य से कोई मेल नहीं था, अतः उन्हें प्रदत्त एवं उपभोग किये जा चुके लाभ को उक्त निर्णय दिनांक 19.2.2014 के परिप्रेक्ष्य में समाप्त नहीं किया जा सकता है।

12. विद्वान अभिभाषक ने माननीय न्यायालयों के निम्न निर्णयों के दृष्टान्त प्रस्तुत कर यह तर्क दिया कि इन निर्णयों में राज्य सरकार द्वारा विशेष अधिसूचना के जरिये दी गयी किसी करमुकित के लाभ को विद्वाँ नहीं किये जाने के निर्णय दिये गये हैं, अतः न्यायिक निर्णयों के आलोक में भूतलक्षी प्रभाव से करमुकित का लाभ विद्वाँ किया जाना अविधिक है :—

- (i) 113 STC Page 361(R.T.T.) The Commissioner, Commercial Taxes, Rajasthan and another Vs. Kandhari & Kandhari Pvt. Ltd. and another
- (ii) 110 STC Page 109 (M.P. ) Kitchen Aid Vs. State of M.P. and other
- (iii) 131 STC Page 290 (Calcutta) Commissioner of Commercial Taxes Vs. West Bengal Taxation Tribunal
- (iv) 142 STC page 76 (SC) Vadilal Chemicals Ltd. Vs. State of Andhra Pradesh and others
- (v) (Civil No. 16215 of 1996) reported in 104 STC page 4 (SC) Commissioner of Sales Tax Vs. Solar Primer P. Ltd. SLP
- (vi) (Civil No. 16087 of 1990) reported in 104 STC page 2 (SC) Commissioner of Sales Tax Vs. Elogic Paper Converter SLP
- (vii) Commissioner of Commercial Taxes, Jaipur Vs. Rajasthan Taxation Tribunal & Others reported in 38 Tax Up-Date Page 131(Raj.)
- (viii) 119 STC page 14 - Birla Jute & Industries Ltd. (supra)
- (ix) 10 VST page 630 (SC) Pondicherry State Cooperative Consumer Federation Ltd Vs. Union Territory of Pondicherry
- (x) 119 STC page 10 (SC) Shree Cement Ltd. and Another Vs. State of Rajasthan and Others
- (xi) 71 STC page no 298- West Bengal Hosiery Association and other v. State of Bihar and Another
- (xii) 118 STC Page 290 - Texmaco Ltd. Vs. State of Andhra Pradesh
- (xiii) 119 STC Page 6 (SC) British Physical Lab India Ltd. Vs. State of Kerala
- (xiv) 8 VST page 10 (P&H) Chaudhary Tractor Company Vs. State of Haryana
- (xv) 10 VST page 259 (P&H) Paul Motor Vs. State of Punjab
- (xvi) 36 PHT page 101 (P&H) Avneet Distillers (p) Ltd. V/s State of Punjab
- (xvii) 35 PHT page 424 (P&H) Lakhi Ram Divan Singh, Rahtak V/s State of Haryana
- (xviii) 137 STC page 438 (SC) State of Rajasthan & another Vs. J.K. Udaipur Udyog Ltd.

13. विद्वान अभिभाषक ने पुनः कथन किया कि बिनानी सीमेंट के समान ही राज्य की अन्य सीमेंट कम्पनी "अम्बुजा सीमेंट" को भी 75 प्रतिशत की करमुकित का लाभ दिनांक 22.2.2002 की अधिसूचना के जरिये दिया गया था जो कि अपीलार्थी को जारी अधिसूचना दिनांक 28.4.2003 से एक वर्ष पूर्व जारी हुई थी उसमें शर्त रखी गयी थी कि उन्हें यह undertaking प्रस्तुत करनी होगी कि बिनानी सीमेंट के मामले में यदि माननीय उच्चतम न्यायालय का अन्यथा आदेश प्राप्त होता है तब वे 25 प्रतिशत से अधिक राशि की करमुकित का लिया गया लाभ राजकोष में जमा करा देंगे। कथन किया कि "अम्बुजा सीमेंट" द्वारा



लगातार.....9

इस आशय की undertaking प्रस्तुत की गयी थी, तभी उन्हें करमुकित का लाभ दिया गया था एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अम्बुजा सीमेंट की Civil Writ Petition No. 3233 से 3250 / 2014 में दिनांक 19.12.2014 को निर्णय दिया गया कि बिनानी सीमेंट एवं अम्बुजा सीमेंट के प्रकरण समान होने से एवं अम्बुजा सीमेंट द्वारा अधिसूचना दिनांक 22.2.2002 की शर्त के अनुरूप undertaking देकर यह अनुबंध किया था कि बिनानी सीमेंट के मामले में राज्य के पक्ष में निर्णय होने पर पूर्ण क्षतिपूर्ति के साथ अन्तर कर जमा कराएंगे अतः अन्तर कर एवं ब्याज देने का आदेश undertaking के आधार पर दिया गया जबकि अपीलार्थी मैसर्स जे. के. लक्ष्मी सीमेंट की अधिसूचना जो अम्बुजा सीमेंट की अधिसूचना के एक वर्ष बाद जारी हुई है उसमें ऐसी कोई शर्त नहीं थी, अतः ऐसी कोई undertaking अपीलार्थी द्वारा नहीं दी गई थी। इस तरह उनका प्रकरण बिनानी सीमेंट एवं अम्बुजा सीमेंट से पूर्णतया भिन्न होने से उन्हें दिया गया करमुकित का लाभ वापस लिया जाने का कोई आधार नहीं था अतः आरोपित कर एवं ब्याज अपारत्त योग्य बताया।

14. विद्वान अभिभाषक ने पुनः अपीलार्थी का प्रकरण बिनानी सीमेंट से भिन्न योजना के तहत होने पर बल देते हुए कथन किया कि उनको दिये गये लाभ में 1989 की योजना के Prestigious or Large unit होने सम्बन्धी कोई विवाद नहीं था। उन्होंने कथन किया कि इसीलिये राज्य सरकार द्वारा जो शर्त उनके लिये जारी अधिसूचना में दी गयी थी, उसका केवल यह अभिप्राय था कि यदि बिनानी सीमेंट माननीय उच्चतम न्यायालय में असफल रहती है, तब उसके बाद इस अपीलार्थी को भी 75 प्रतिशत का लाभ जारी नहीं होगा एवं राज्य सरकार अपीलार्थी का लाभ भी समाप्त कर सकेगी। अपने इस कथन के समर्थन में सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त वित्त विभाग की नोटशीट भी पेश की, जिसमें अधिसूचना जारी करने से पूर्व यह टिप्पणी कि हुई है कि बिनानी सीमेंट का न्यायिक निर्णय राज्य के पक्ष में होने पर जे. के. सीमेंट की अधिसूचना में स्वतः ही छूट का प्रतिशत नहीं घटाया जा सकेगा एवं टिप्पणी की है कि उस स्थिति में अपीलार्थी के लिये जारी अधिसूचना में संशोधन करना होगा जो पूर्व प्रभाव से (Retrospective) नहीं किया जा सकेगा। इस आधार पर कथन किया कि उक्त अधिसूचना में बिनानी सीमेंट के निर्णय से बाधित होने की शर्त का अभिप्राय केवलमात्र बिनानी सीमेंट के निर्णय के बाद 75 प्रतिशत की करमुकित जारी नहीं रखने का ही रहा है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की दिनांक के पश्चात् ही अपीलार्थी की करमुकित का लाभ राज्य सरकार द्वारा घटाया जा सकता था। यह भी कथन किया कि अपीलार्थी का लाभ उक्त निर्णय के पूर्व ही समाप्त हो चुका था अतः यह शर्त सारहीन हो गयी थी।

1

लगातार.....10

15. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेशों में आरोपित किये गये 'ब्याज' को विधिविरुद्ध बताते हुए कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने भूतलक्षी (Retrospective) प्रभाव से करमुक्ति के लाभ को समाप्त करने के साथ भूतलक्षी दिनांक से कर जमा नहीं कराने का "Default" मानते हुए जो ब्याज आरोपित किया है वह विधि के विरुद्ध एवं अधिनियम, 1994 की धारा 58 एवं वेट अधिनियम की धारा 55 के प्रावधानों से परे है।

16. विद्वान अभिभाषक ने निम्न न्यायिक निर्णयों के दृष्टान्त के साथ कथन किया कि दिनांक 22.5.2014 के कर निर्धारण आदेश के पूर्व के समय के लिये कोई ब्याज आरोपित ही नहीं किया जा सकता क्योंकि उस समय कर जमा कराने का कोई दायित्व नहीं होने से कोई default नहीं किया गया था अतः यदि करमुक्ति का लाभ समाप्त कर उसकी वसूली की जाती है तो वह कर निर्धारण आदेश के दिन से ही देय होगा एवं उसके बाद के दिन से ही ब्याज आरोपणीय हो सकता है।

- (i) 94 STC 422 (SC) J.K. Synthetics Ltd. vs. State of Rajasthan
- (ii) 95 STC 188 (SC) Frick India Ltd. and ors. vs. State of Haryana
- (iii) 127 STC 258 (SC) Commissioner of Sales Tax vs. Hindustan Aluminium Cororation
- (iv) 8 VST 10 (P&H) Chaudhary Tractor Company vs. State of Haryana
- (v) 10 VST 259 (P&H) Paul Motor vs. State of Punjab
- (vi) 36 PHT 101 (P&H) Avneet Distillers (P) Ltd vs. State of Punjab
- (vii) 35 PHT 424 (P&H) Lakhi Ram Divan Singh, Rohtak vs. State of Haryana
- (viii) 137 STC 438 (SC) State of Rajasthan & Another vs. J.K. Udaipur Udyog Ltd.

17. कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेशों एवं अपील आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि इसी तरह के समान प्रकरण में अम्बुजा सीमेंट की याचिका संख्या 3233 / 2014 निर्णय दिनांक 19.12.2014 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने बिनानी सीमेंट के निर्णय के अनुसरण में आरोपित अन्तर कर एवं ब्याज को विधिसम्मत मान लिया गया है अतः उस निर्णय के आलोक में यह अपील खारिज की जावे। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पेप्सिको होल्डिंग का हवाला देते हुए कथन किया कि कर देयता तय होने के पश्चात् ब्याज का आरोपण किया जाना विधिसम्मत निर्णीत किया गया है अतः इस बिन्दु पर भी अपील खारिज करने का निवेदन किया।

18. दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं विधिक अधिसूचनाओं के साथ कर निर्धारण आदेश व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का परीक्षण किया गया।

19. प्रकरण में इस पीठ के समक्ष अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा वे समस्त तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसके प्रकाश में उक्त अपीलार्थी को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 28.4.2003 के जरिये कर मुक्ति का लाभ प्रदान किया गया था। संक्षिप्त में तथ्य इस तरह है कि उक्त अपीलार्थी कम्पनी की इकाई के समीप क्षेत्र में ही स्थित, मैसर्स बिनानी सीमेंट कम्पनी को SLSC द्वारा विक्रय कर मुक्ति प्रोत्साहन योजना 1989 के तहत 25 प्रतिशत की कर मुक्ति का लाभ 7 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया गया था परन्तु बिनानी सीमेंट ने इसे अविधिक मानते हुए SLSC के निर्णय को राजस्थान कर बोर्ड में चुनौती देते हुए योजना के तहत 'Prestigious' unit के रूप में 75 प्रतिशत की करमुक्ति का लाभ चाहा, जिसे राजस्थान कर बोर्ड एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने विधिसम्मत मानकर 75 प्रतिशत का लाभ प्रदान कर दिया, इससे सीमेंट उद्योग की "अन्य इकाईयों" ने भी बाजार प्रतिस्पर्धा में समान "कर" लागू करने के आधार पर राज्य सरकार से विशेष कर मुक्ति देने का अनुरोध किया तब राज्य सरकार द्वारा दिनांक 22.2.2002 को एक अधिसूचना जारी कर, अंबूजा सीमेंट कम्पनी को भी 75 प्रतिशत की कर मुक्ति प्रदान की गई एवं एक वर्ष बाद दिनांक 28.4.2003 को उक्त अपीलार्थी (मैसर्स जे.के.लक्ष्मी सीमेंट) को भी 75 प्रतिशत की करमुक्ति दी गयी।

20. प्रकरण में निर्णय से पूर्व इस तथ्य का उल्लेख भी आवश्यक है कि अंबूजा सीमेंट एवं बिनानी सीमेंट कंपनी के प्रोत्साहन योजना 1989 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों में यह समानता थी कि वे दोनों ही New large cement unit थीं परन्तु उन्होंने अन्य क्लॉज के तहत 75 प्रतिशत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन किया था जो SLSC द्वारा नहीं दिया जाने पर बिनानी सीमेंट की अपील पर कर बोर्ड द्वारा 75 प्रतिशत का लाभ दे दिया गया तब अंबूजा सीमेंट द्वारा भी राज्य सरकार से 75 प्रतिशत की कर मुक्ति देने की प्रार्थना की जाने पर बिनानी सीमेंट के समान ही एवं लगभग समान स्थितियों के मद्देनजर 75 प्रतिशत की विशेष कर मुक्ति का लाभ देते हुए अधिसूचना दिनांक 22.2.2002 जारी की गई। अंबूजा सीमेंट के लिये जारी अधिसूचना दिनांक 22.2.2002 में यह शर्त रखी गई कि अंबूजा सीमेंट यह Undertaking देंगे कि बिनानी सीमेंट के प्रकरण में यदि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कर मुक्ति के प्रतिशत में परिवर्तन किया जाता है तो अंबूजा सीमेंट द्वारा भी 25 प्रतिशत से अधिक लाभ को वापस राजकोष में जमा कराया जाएगा। इस शर्त को अधिसूचना में दिये

जाने का मुख्य कारण बिनानी सीमेंट का New large scale unit या Prestigious unit के रूप में लाभ देने संबंधी विवाद लम्बित था एवं चूंकि अंबूजा सीमेंट द्वारा न्यायालय के जरिये लाभ नहीं लिया गया था अतः राज्य सरकार द्वारा अंबूजा सीमेंट को भी मार्केट प्रतिस्पर्द्धा में समानता देने के उद्देश्य से बिनानी सीमेंट के बराबर का लाभ दे दिया, परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात भी वापस उन दोनों के बीच में समानता का सिद्धान्त बरकरार रखने हेतु अंबूजा सीमेंट की अधिसूचना में यह शर्त रखी कि वे यह Undertaking प्रस्तुत करेंगे कि बिनानी सीमेंट के निर्णय अनुसार ही वे भी प्राप्त लाभ को वापस राजकोष में जमा कराएंगे एवं इसी कारण बिनानी सीमेंट का यह निर्णय होने पर कि उन्हें Large scale new unit के रूप में योजना के क्लॉज अनुसार 25 प्रतिशत की कर मुक्ति का ही लाभ मिलेगा, अंबूजा सीमेंट के विरुद्ध कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिसूचना के अनुसार दी गयी undertaking के आधार पर मांग कायम की गई थी उसके विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिका संख्या 3233/2014 को खारिज किया गया, जिसके निर्णय का सुसंगत अंश निम्न प्रकार है :-

"55. It is admitted by the petitioner-Company that the Notification dated 22.2.2002 was issued under section 15 of the Act in its favour, on a representation made by it on 7.1.2002 to the State Government seeking parity with M/s Binani Cements. The Notification issued was clearly with the condition and was linked to the case of M/s Binani Cements pending in the Supreme Court of India and an undertaking was given in unequivocal and specific terms without any demur that the Company will deposit the benefit availed by it exceeding 25% of its liability, in case the judgment of the Rajasthan High Court in the matter of M/s Binani Cements is modified as per any order/judgment issued by the Supreme Court. The matter pending before the Supreme Court was finally decided on 19.2.2014, in which it was held that M/s Binani Cements was not entitled to the RST exemption beyond 25% and on which proceedings were initiated against the petitioner-Company.

56. It is not denied nor any argument was raised in which the petitioner may have distinguished its case on merits, from the case of M/s Binani Cements decided by the Hon'ble Supreme Court on 19.2.2014. The undertaking became effective as soon as the Supreme Court decided the matter on 19.2.2014 and that any benefit retained by the petitioner, if allowed to be retained, would result into reverse discrimination, whereas M/s Binani Cements would be able to claim incentive only to the extent of 25%, the petitioner despite its undertaking would get incentive of 75%.

1

लगातार.....13

57. In Shyam Telelink Limited V/s Union of India (supra), it was held by the Supreme Court that the terms of the **undertaking** after it was unconditionally accepted, cannot be altered, as a person seeking exemption on an undertaking, which is agreement, cannot be allowed to reprobate. The doctrine of benefits and burdens postulates that a person taking advantage under an **instrument** which both grants a benefit and imposes a burden, cannot take the former without complying with the latter. **A person cannot approbate and reprobate or accept and reject the same instrument."**

21. इस तरह माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अंबूजा सीमेंट को दिनांक 2002 की अधिसूचना से प्राप्त लाभ को मय ब्याज राजकोष में जमा कराने का निर्णय उनके द्वारा दिये गये undertaking के आधार पर दिया गया था। उक्त निर्णय का मूल आधार अंबूजा सीमेंट द्वारा दी गई वह undertaking थी, जिसमें समस्त लाभ राजकोष में जमा कराने की स्वीकृति दी गयी थी।

22. इसी प्रकार उक्त अपीलार्थी कम्पनी जे. के. लक्ष्मी सीमेंट द्वारा भी राज्य सरकार की औद्योगिक नीति अनुसार, राज्य की BIDI के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें यह बताया गया कि उक्त कम्पनी द्वारा भी उत्पादन में 'विस्तार (Expansion)' करने के लिए Unit Number-3 स्थापित की गई थी एवं उसमें विक्रय कर आस्थगन योजना 1989 के तहत आस्थगन का ही लाभ प्राप्त है जिस पर उनकी ब्याज की राशि का भार बढ़ रहा है तथा बिनानी सीमेंट, अंबूजा सीमेंट व अन्य कुछ सीमेंट कंपनी 75 प्रतिशत की कर मुक्ति का लाभ ले रही है अतः उन्हें भी 75 प्रतिशत की कर मुक्ति का लाभ विस्तारित इकाई पर दिया जावे। अपीलार्थी के प्रार्थना-पत्र को स्वीकार कर BIDI द्वारा राज्य सरकार को अनुशंशा करने पर राज्य सरकार द्वारा दिनांक 28.4.2003 की अधिसूचना जारी कर आस्थगन योजना के तहत कार्यरत Unit-3 की बिक्री पर 75 प्रतिशत की कर मुक्ति प्रदान की गई परन्तु इस अधिसूचना में भी यह शर्त रखी गई कि यह कर मुक्ति, बिनानी सीमेंट के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। इस तरह अपीलार्थी कम्पनी की प्रार्थना पर राज्य सरकार द्वारा आस्थगन योजना के लाभ को कर मुक्ति लाभ में परिवर्तित करते हुए कर मुक्ति का लाभ नौ वर्ष के लिए, परन्तु पूर्व-प्राप्त अवधि एवं लाभ राशि को कम करते हुए जारी किया गया जिससे 28.4.2003 से 31.3.2006 तक कर मुक्ति का लाभ लिया गया एवं वैट अधिनियम 2003 के प्रभावी होने के पश्चात दिनांक 01.04.2006 से राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 31.3.2006 अनुसार अवशेष अवधि एवं अवशेष राशि की सीमा तक का लाभ आस्थगन योजना के

लगातार.....14

तहत लिया गया। इस तरह अधिसूचना दिनांक 31.3.2006 अनुसार दिनांक 01.04.2006 के पश्चात् वर्ष 2006–07, 2007–08 एवं वर्ष 2008–09 में विक्रय कर राशि वसूल कर जमा करने से आस्थगित रखी गई।

23. उक्त अपीलार्थी के द्वारा बहस के दौरान यह कथन एवं तर्क दिये गये हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिनानी सीमेंट के निर्णय दिनांक 19.2.2014 के आधार पर उनकी कर मुक्ति का लाभ वापस (Withdraw) किया गया है वह अविधिक है क्योंकि 'बिनानी सीमेंट' का प्रकरण अपीलार्थी के प्रकरण से किसी भी बिन्दु पर समान नहीं है क्योंकि अपीलार्थी फर्म को केवल एक 'विस्तार' यूनिट पर ही आस्थगन योजना 1989 के तहत लाभ प्राप्त था जबकि बिनानी सीमेंट को New Large Scale Unit के रूप में कर मुक्ति की पात्रता थी जिसमें बिनानी सीमेंट द्वारा 75 प्रतिशत का लाभ कर बोर्ड के निर्णय के कारण लिया जा रहा था एवं अबूंजा सीमेंट को भी बिनानी सीमेंट के समान लाभ Undertaking देने की शर्त पर दिया गया था जबकि अपीलार्थी को दिया गया विशिष्ट लाभ Large Scale New Unit से सम्बन्धित ही नहीं था एवं इसलिये राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में केवल यह शर्त रखी कि वे बिनानी सीमेंट के निर्णय से बाधित होंगे अर्थात् जब तक बिनानी सीमेंट 75 प्रतिशत का लाभ लेगा तब तक ही अपीलार्थी को 75 प्रतिशत का लाभ मिलेगा। यह तर्क भी दिया कि उक्त शर्त का अभिप्राय केवल यह था कि वर्ष 2001 से चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय में बिनानी सीमेंट का निर्णय लम्बित था तथा 2003 तक निर्णय प्राप्त नहीं हुआ था ऐसी स्थिति में जब भी निर्णय प्राप्त होगा उसके बाद उस निर्णय अनुसार कर मुक्ति का लाभ राज्य सरकार प्रभावित कर सकेगी। इसी तरह अबूंजा सीमेंट भी समान योजना अनुसार Large Scale Unit में सम्मिलित होने से एवं अधिसूचना अनुसार प्रस्तुत Undertaking अनुसार सम्पूर्ण लाभ मय ब्याज लौटाने के दायित्वाधीन थी जबकि उक्त अपीलार्थी कम्पनी की केवल एक यूनिट को "विस्तार" योजना में लाभ दिया गया है और राज्य सरकार द्वारा पूर्ण विचार के साथ एवं औद्योगिक नीति अनुसार अपीलार्थी के लिये जारी की गई अधिसूचना में "Undertaking" देने की कोई शर्त नहीं रखी गयी है जबकि यह अधिसूचना अंबूजा सीमेंट की अधिसूचना जारी होने के एक वर्ष बाद जारी की गयी थी।

24. उक्त विधिक एवं न्यायिक स्थिति पर विचार करने पर अपीलार्थी का यह कथन उचित रूप से मानने योग्य है कि बिनानी सीमेंट एवं अंबूजा सीमेंट की औद्योगिक इकाईयों के तथ्य एक समान होने से प्रोत्साहन योजना के तहत समान लाभ की पात्रता थी एवं इसीलिए अंबूजा सीमेंट के लिये जारी अधिसूचना में undertaking ली गई थी एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय



द्वारा अंबूजा सीमेंट के प्रकरण में इसी Undertaking के आधार पर प्राप्त समस्त लाभ को राजकोष में जमा कराना विधिक माना है। अपीलार्थी का प्रकरण उक्त दोनों इकाईयों से सदृश्य नहीं होने का तर्क भी स्वीकार योग्य है क्योंकि इस इकाई को कर मुक्ति का लाभ केवल एक समान “कर” नीति के सिद्धान्त पर दिया गया था एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित याचिका में बिनानी सीमेंट का विवाद का जो बिन्दु निर्णयार्थ था उस बिन्दु का इस अपीलार्थी फर्म से कोई संबंध नहीं था क्योंकि इनके प्रकरण में कभी 'Prestigious Unit' के रूप में लाभ का क्लेम नहीं किया गया था इस तरह बिनानी सीमेंट के निर्णय का इस बिन्दु के आधार पर अपीलार्थी पर कोई प्रभाव नहीं होता है एवं न ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का अंबूजा सीमेंट का निर्णय लागू होता है क्योंकि वह बिनानी सीमेंट के निर्णय के अधीन प्राप्त लाभ वापस लौटाने की Undertaking दिये जाने से बाध्य थी। परन्तु राजस्व का यह तर्क भी स्वीकार योग्य है कि अपीलार्थी के लिये जारी अधिसूचना में भी बिनानी सीमेंट के निर्णय से बाधित होने की शर्त पर लाभ दिया गया था एवं यह लाभ देय “कर” में समानता की नीति पर दिया गया था अतः अपीलार्थी भी बिनानी सीमेंट एवं अंबूजा सीमेंट के समान केवल 25 प्रतिशत की कर मुक्ति का ही लाभ प्राप्त कर सकती है एवं वह भी मात्र सात वर्ष के लिए जो कि वर्ष—2006 तक ही प्रभावी रहता है। इस तरह अपीलार्थी का यह तर्क कि बिनानी सीमेंट के विवाद से कोई समानता नहीं थी, अनुचित है, क्योंकि बिनानी सीमेंट के अनुसार ही सात वर्ष से नौ वर्ष एवं लाभ 25 प्रतिशत से 75 प्रतिशत किया गया है अतः लाभ एवं अवधि के बिन्दु की समानता होने से यह शर्त रखी गयी कि यदि बिनानी सीमेंट को 75 प्रतिशत से 25 प्रतिशत लाभ एवं नौ वर्ष से 7 वर्ष निर्णीत होता है तो उस निर्णय का प्रभाव अपीलार्थी पर स्वतः ही होगा।

25. अपीलार्थी का यह तर्क कि उनको दिया हुआ लाभ अधिसूचना की शर्त अनुसार बिनानी सीमेंट के निर्णय तक ही प्राप्त योग्य था एवं उनके द्वारा “सूचना के अधिकार” के तहत वित्त विभाग से प्राप्त नोटशीट में भी यह अंकित है कि यह लाभ भूतलक्षी प्रभाव से वापस नहीं लिया जा सकेगा, सामान्य दृष्टि से हालाँकि उचित प्रतीत होता है परन्तु वास्तविक रूप से अपीलार्थी को यह ज्ञान था कि उन्हें दिया गया विशेष लाभ एक शर्त के अधीन है एवं इस शर्त के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा कोई आपत्ति राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई थी एवं न ही इसका स्पष्टीकरण लिया गया कि इस शर्त के अधीन होने का अर्थ क्या होगा, जबकि बिनानी सीमेंट से उनके तथ्य भिन्न थे। ऐसी स्थिति में बिनानी सीमेंट के निर्णय की शर्त के मददेनजर अपीलार्थी को लाभ का प्रतिशत एवं अवधि घटाया जाना विधिसम्मत है क्योंकि अपीलार्थी ने अधिसूचना

लगातार.....16

की शर्त को स्वीकार करते हुए ही बिनानी सीमेंट के बराबर नौ वर्ष एवं 75 प्रतिशत का लाभ प्राप्त किया था अतः उक्त शर्त एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में दिनांक 28.4.2003 से अपीलार्थी को कर मुक्ति 75 प्रतिशत के स्थान पर 25 प्रतिशत से ही प्राप्त योग्य गणनीय होगा।

26. प्रकरण में अपीलार्थी को अधिसूचना दिनांक 28.4.2003 के जरिये जो करमुक्ति दी गयी थी वह absolute न होकर एक शर्त के अधीन थी, ऐसी स्थिति में करमुक्ति का लाभ भविष्य के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अधीन होने से इस शर्त का प्रभाव दिया जा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि किसी भी व्यवसायी द्वारा करमुक्ति का लाभ प्राप्त करने के लिये यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि करमुक्ति का लाभ उसे absolute रूप से प्राप्त होने योग्य है अन्यथा करमुक्ति का लाभ प्राप्त न होकर ऐसे मामले राजस्व के पक्ष में निर्णीत योग्य होते हैं। इस बिन्दु पर ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नोवापेन इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद बनाम कलेक्टर ऑफ सेन्ट्रल एक्साईज एण्ड कस्टम्स (1994) Supp. 3 एस.सी.सी. 606 एवं सेन्ट्रल एक्साईज बनाम हरि चन्द श्री गोपाल (2011) 6 जी.एस.आई.आर. 369 (एस.सी.) में करमुक्ति के लाभ के सम्बन्ध में जो अवधारणा प्रतिपादित की गयी है, उसका अनुकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय सिटीमैक्स होटल (इण्डिया) प्रा० लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन जोन—प्रथम, जयपुर 43 टैक्स अपडेट 61 निर्णय दिनांक 01.05.2015 में किया जाकर इस निर्णय में निम्न हवाला दिया गया है :—

"21. A constitution bench of the Supreme Court in **Commissioner of Central Excise Vs. Hari Chand Shri Gopal – (2011) 1 SCC 236**, while revisiting previous judgments on the subject, held that a provision providing for an exemption, concession or exception, as the case may be, has to be construed strictly with certain exceptions depending upon the setting on which the provision has been placed in the Statute and the object and purpose to be achieved. If exemption is available on complying with certain conditions, the conditions have to be complied with. That decision has been followed in a recent judgment of the Supreme Court in **Indian Oil Corporation Limited Vs. Commissioner of Central Excise, Vadodara – (2012) 5 SCC 574**, holding that exemption notification relied therein, required that for availing such exemptions two conditions must be satisfied. Unless both the conditions stipulated in the notification are complied with, the appellant was not entitled to exemption.

22. In **Novopan India Limited, Hyderabad Vs. Collector of Central Excise and Customs, Hyderabad – 1994 Supp (3) SCC 606**, the Supreme Court held that in case of ambiguity, a taxing statute should be construed in favour of the assessee -assuming that the said principle is good and sound -does not apply to the construction of an exception or an exempting provision; they have to be construed strictly. A person invoking an exception or an exemption provision to relieve him of the tax liability must establish clearly that he is covered by the said provision. In case of doubt or ambiguity, benefit of it must go to the Revenue."

27. इस तरह माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी न्यायिक निर्णय विधि के अनुसार अपीलार्थी के हित में जारी अधिसूचना की शर्त अनुसार दिया गया करमुक्ति का लाभ स्वतः समाप्त हो जाता है। अतः अपीलीय अधिकारी का इस बिन्दु पर दिया गया निर्णय उचित है कि अपीलार्थी कंपनी को दिया गया लाभ सशर्त था एवं अन्य सीमेंट इकाईयों से discriminate नहीं करने हेतु दिया गया। ऐसी स्थिति में बिनानी सीमेंट के निर्णय की शर्त अनुसार 25 प्रतिशत तक ही लाभ गणनीय है एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिसूचना की शर्त अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात् पूर्व के कर निर्धारण आदेशों में वर्ष 2005–06 तक करमुक्ति एवं दिनांक 01.04.2006 के पश्चात् आस्थगन लाभ को समाप्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। फलतः अपीलार्थी का लाभ अधिसूचना की शर्त अनुसार कम करने के बिन्दु पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

28. अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण करने के सम्बन्ध में जो समयावधि एवं वेट अधिनियम की धारा 24(6) एवं अधिनियम की धारा 29(8) का गलत उपयोग बताया गया है उसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा यह उचित निर्णय लिया गया है कि अधिसूचना में ही यह शर्त अंकित थी कि वह लाभ बिनानी सीमेंट के निर्णय के अध्यधीन रहेगा तब माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात् शर्त अनुसार लाभ को विद्वाँ कर अन्तर “कर मुक्ति राशि” को जमा कराने के लिये किया गया निर्धारण आदेश विधिसम्मत है।

29. प्रकरण में अपीलार्थी की ओर से उक्त तथ्यों के अधीन आरोपित कर राशि पर ब्याज के आरोपण को पूर्णतया अविधिक बताते हुए कथन किया है कि ‘ब्याज’ का आरोपण अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुरूप ही किया जा सकता है जबकि इस प्रकरण में प्रावधानों के विरुद्ध ब्याज आरोपित किया गया। अधिनियम, 1994 की धारा 58 एवं वेट अधिनियम की धारा 55 में ब्याज के प्रावधान निम्न प्रकार है :-

1

2

लगातार.....18

**Section 58. Interest on failure to pay tax or other sum payable—**

- (1) Where a dealer or a person **commits default in making the payment of any amount of tax leviable or payable or of any amount of tax leviable or payable** or of any amount of tax, fee, interest or penalty assessed or determined or of any amount or demand otherwise payable, **within the specified time under the provision of this Act or the rules made or notification issued thereunder**, such dealer or person shall be liable to pay interest on such amount at the rate of two per cent per month, for the period starting from the day immediately succeeding the date specified for such payment and ending with the day on which such payment is made.
- (2) Subject to the provisions of sub-section (2) of section 70, interest under sub-section (1) shall be calculated—
  - (a) at the time of assessment under any section or in continuation of such assessment; and
  - (b) on payment including adjustment of a demand in full.
- (3) The liability to pay interest under the provisions of this section shall also arise for a period which is less than a month.

**Section 55. Interest on failure to pay tax or other sum payable.—**

- (1) Where any person or a dealer commits a **default in making the payment of any amount of—**
  - (a) **tax leviable or payable;** or
  - (b) any amount of tax, fee, penalty or interest assessed or determined; or
  - (c) any other amount payable by him,within the specified time under the provisions of this Act or the rules made or **notifications issued thereunder**, he shall be liable to pay interest on such amount at such rate, as may be notified by the State Government from time to time, for the period commencing from the day immediately succeeding the date specified for such payment and ending with the day on which such payment is made.
- (2) Subject to the provisions of sub-section (2) of section 66, interest under sub-section (1) shall be calculated—
  - (a) at the time of assessment under any section or in continuation of such assessment; and
  - (b) on payment including the adjustment of a demand in full.
- (3) The liability to pay interest under the provisions of this section shall also arise for a period which is less than a month.
- (4) Where a dealer, registered under this Act, has wrongly availed input tax credit or has been granted an erroneous refund in any manner, such dealer shall be liable to pay interest, at such rate as

may be notified by the State Government from time to time, on the amount of wrongly availed credit or the amount of such refund as the case may be and such interest shall be calculated from the first day of the month succeeding the month in which the credit was wrongly availed or the refund was erroneously granted till the day on which such payment is made.

30. अधिनियम, 1994 एवं वेट अधिनियम 2003 की उक्त दोनों धाराओं में किये गये प्रावधानों पर विचार किया गया कि ब्याज का अधिरोपण कब और किस परिस्थिति में किया जायेगा। उक्त दोनों ही अधिनियमों की ब्याज की धारा में यह प्रावधान निर्विवाद रूप से किया गया है कि किसी भी व्यक्ति या व्यवसायी का कर देने का दायित्व इस Act अथवा Rules या किसी अधिसूचना से होता है, तो 'कर' की राशि का भुगतान अधिनियम में दी गयी समयावधि में नहीं करने पर ब्याज आरोपित किया जावेगा। उक्त धारा में केवल उस 'कर' पर ही ब्याज का आरोपण करने का प्रावधान है जो 'leviable' or 'payable' है अर्थात् यदि कोई कर किसी भी समय leviable or payable होता है तो उस 'कर' को Act, Rule अथवा Notification में दी गई समयावधि में (in specified time) जमा करवाना आवश्यक है एवं उस specified time में जमा नहीं करवाया जाता है तो उस समय समाप्ति के अगले दिन से ब्याज की गणना की जानी अनिवार्य है।

31. यह भी उल्लेखनीय है कि किसी भी अधिनियम में ब्याज के प्रावधान होने पर उसी अनुसार ब्याज लगाया जा सकता है। ब्याज के प्रावधान के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने मैसर्स जे. के. सिन्थेटिक्स बनाम सीटीओ (1994) 94 एस.टी.सी. 422 में अवधारित किया है कि :-

".....But regardless of the reason which impelled the Legislature to provide for charging interest, the court must give that meaning to it as is conveyed by the language used and the purpose to be achieved. Therefore, any provision made in a statute for charging or levying interest on delayed payment of tax must be construed as a substantive law and not adjectival law. So construed and applying the normal rule of interpretation of statutes, we find, as pointed out by us earlier and by Bhagwati, J, in the Associated Cement Company's case (1981) 48 STC 466 (SC) that if the Revenue's contention is accepted it leads to conflicts and creates certain anomalies which could never have been intended by the Legislature."

लगातार.....20

32. ब्याज के उक्त प्रावधानों के प्रकाश में अपीलार्थी के प्रकरण के परीक्षण पर यह स्पष्ट निष्कर्ष दिया जाता है कि राज्य सरकार की अधिसूचना अनुसार अपीलार्थी को दिनांक 31.3.2006 तक 75 प्रतिशत तक करमुक्ति प्राप्त थी अर्थात् अपीलार्थी का 75 प्रतिशत की सीमा तक कोई 'कर' न तो 'leviable' था न ही 'payable' था, ऐसी स्थिति में उसे जमा कराने का दायित्व नहीं होने से कोई default नहीं होने से ब्याज का आरोपण अविधिक है एवं इस स्थिति के अनुरूप ही कर निर्धारण आदेश में कर leviable or payable होने का अंकन नहीं किया गया।

33. अपीलार्थी को दिनांक 01.04.2006 से आस्थगन योजना का लाभ प्राप्त होने से उसके द्वारा संग्रहित कर leviable and payable हो गया था एवं पुनः दिनांक 31.3.2006 के notification अनुसार उस 'payable' कर को जमा कराने का जो 'time'; specified था उस समय के भीतर ही एवं राज्य सरकार की अधिसूचना अनुसार अपीलार्थी द्वारा कर जमा करवा दिया गया था ऐसी स्थिति में दिनांक 01.04.2006 के बाद भी अपीलार्थी ने payment of tax in specified time करने में कोई 'default' नहीं किया था ऐसी स्थिति में दिनांक 01.04.2006 के बाद कर जमा कराने में कोई default नहीं करने से उस पर भी ब्याज आरोपित नहीं किया जा सकता।

34. अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रौद्योगिक निर्णयों का अध्ययन किया गया। प्रस्तुत निर्णयों एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश में दिये गये निर्णयों के अध्ययन पर भी यही स्पष्ट होता है कि ब्याज का निर्धारण किसी भी कर के उद्ग्रहणीय होने एवं पेयबल ("Leviable and payable") होने पर उस विधि में दी गई समयावधि में (in specified time) जमा नहीं कराये जाने पर ब्याज की गणना होगी। इस प्रकरण में अपीलीय अधिकारी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के पेप्सिको इंडिया होल्डिंग लिमिटेड बनाम कमिशनर ऑफ ट्रेड टैक्स निर्णय दिनांक 05.04.2011 एवं इन्डोडेन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. (2010) 27 वी. एस.टी. 1 (एस.सी.) में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय सहायक आयुक्त भीलवाड़ा बनाम ममता सर्जिकल कॉटन इण्डस्ट्रीज (2011) 31 टैक्स अपडेट 303 के हवाले से देय कर के विलम्ब से जमा होने पर ब्याज का आरोपण उचित माना गया है, वह उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी के आदेश में वर्णित उक्त सभी निर्णयों में एक स्थिति स्पष्ट थी कि प्रत्येक प्रकरण में कर (Tax) जिस दिन से पेयबल था उसी दिन से ब्याज का आरोपण किया जाना विधिक माना है। यदि किसी व्यक्ति या व्यवसायी द्वारा पेयबल टैक्स की अदायगी को न्यायालय के समक्ष विवादित किया जाता है तब भी वह टैक्स पेयबल ही रहेगा एवं उसी दिन से



पेयबल होगा जब विधिक प्रावधानों के तहत पेयबल था। यदि न्यायालयों द्वारा विवादित बिन्दु पर निर्णय में टैक्स पेयबल नहीं माना जाता है तो वह 'कर' ही पेयबल नहीं होगा तब ब्याज का प्रश्न नहीं होगा, परन्तु यदि न्यायालय इसे पेयबल मानता है तो वह कर राशि specified time के बाद विलम्ब से जमा होने पर धारा 55 / 58 के प्रावधान अनुसार ब्याज आरोपित किया जा सकता है। राजस्व और अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी न्यायिक निर्णयों में इस अवधारणा की पुष्टि की गयी है एवं यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि ब्याज के लिये किये गये प्रावधान अनुसार ही ब्याज की गणना की जा सकती है। राजस्व की ओर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के अम्बुजा सीमेंट का जो निर्णय प्रस्तुत किया गया है वह ऊपर किये गये विस्तृत वर्णन अनुसार केवलमात्र उनके द्वारा दी गयी Undertaking के आधार पर किया गया है जो इस अपीलार्थी पर लागू नहीं होता है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के उद्धरित सुसंगत अंश में यह स्पष्ट निर्णय दिया है कि वे undertaking देने के पश्चात् इसे अमान्य नहीं कर सकते। इस प्रकरण में tax payable होने एवं ब्याज के प्रावधान लागू होने का कोई प्रश्न नहीं रहा था क्योंकि अम्बुजा सीमेंट को दिया गया लाभ हुबहु बिनानी सीमेंट के समान होने से उसे प्रथम दिन से payable मानने की शर्त के साथ undertaking देकर समस्त लाभ राजकोष में जमा कराने की सहमति दी थी। इस तरह उस प्रकरण में बिनानी सीमेंट के निर्णय अनुसार पूर्व दिनांक से payable था।

35. प्रस्तुत प्रकरणों में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात् अधिसूचना दिनांक 28.4.2003 की शर्त अनुसार निर्णय होने के आधार पर अपीलार्थी का करमुक्ति प्रतिशत परिवर्तित हुआ है जो निर्णय के दिवस से Tax payable and Leviable हुआ है अतः उस निर्णय के पश्चात् कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर वसूली के आदेश देने पर विलम्ब होगा तो वह धारा 55 एवं 58 में ब्याज के लिये उत्तरदायी हो सकता है। अतः अपीलार्थी द्वारा ब्याज के बिन्दु पर दिया गया तर्क विधिसम्मत पाया जाने से समस्त आदेशों में धारा 55 एवं 58 के तहत कर निर्धारण के पूर्व की अवधि का आरोपित ब्याज अपास्त किया जाता है। कर निर्धारण के बाद कर जमा नहीं होने पर कर निर्धारण अधिकारी ब्याज की वसूली करने में सक्षम रहेंगे, अतः कर निर्धारण के पश्चात् कर जमा नहीं कराया गया है तो वह Default की श्रेणी में आएंगे।

36. फलतः अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार करते हुये सभी विवादित निर्धारण आदेश में आरोपित कर को यथावत रखा जाता है एवं आरोपित ब्याज को अपास्त किया जाता है।

37. निर्णय सुनाया गया।

( मदन लाल मालवीय )  
सदस्य

( के. एल. जैन )  
सदस्य